समक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ संख्या– 07

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, देहरादून

फौजदारी परिवाद संख्या– 6733/2022

श्रीराम सिटी यूनियन बनाम मै0 रेडिमेड कलेक्शन

दिनांक 09–09–2023

परिवादी अधिवक्ता– श्री रोहित श्रीवास्तव

अधिनिर्णय

उपरोक्त मामला पक्षकारों के मध्य सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु इस राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ संख्या 07 के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परिवादी के अधिवक्ता आज उपस्थित हैं।

2. परिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि परिवादी व अभियुक्त के मध्य समझौता हो गया है तथा परिवादी उक्त वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः हस्तगत परिवाद को समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाने की प्रार्थना की गई।

3. परिवादी के कथनानुसार पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया है तथा परिवादी उक्त वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है। प्रस्तुत मामला परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत शमनीय प्रकृति का है। अतः परिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तदानुसार पक्षकारो के मध्य समझौता होने के कारण हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही अभियुक्त के विरूद्ध शमन की जाती है। तद्नुसार अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाता है। हस्तगत प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किया जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित *मध्यप्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथोरिटी बनाम प्रतीक जैन व अन्य 2014(10) एससीसी 690* विधि व्यवस्था के आलोक में पक्षकारों को शुल्क जमा करने से छूट प्रदान की जाती है।

पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरांत नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित हो।

(नूपुर मित्तल)
एडवोकेट/सदस्य
पीठ संख्या–07

(उर्वशी रावत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
देहरादून।
अध्यक्ष पीठ संख्या–07